A Parela

## न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0-1015 / 13

संस्थित दिनाँक-31.10.13

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

रमेश पुत्र काशीराम धानुक उम्र 58 साल निवासी गुढीगुढा का नाका बालाजीपुरम पुलिस कॉलोनी, माधौगंज ग्वालियर म०प्र०

.....अभियुक्त

## <u> –ः निर्णय ::–</u>

## (आज दिनांक 23.02.18 को घोषित)

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.08.13 को शाम करीब 7 बजे मण्डी तिराहा गोहद में ऑटो क0 एम0पी0—30 आर—0542 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि आहत नाथूराम द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर भादिवा की धारा 338 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 के आरोप में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 20.08.13 को फरियादी विशाल रावत अपने पिता नाथूराम के साथ एक ऑटो में बैठकर शाम करीब सात बजे मण्डी तिराहा अपने घर जाने के लिए उतरा। इतने में ऑटो क् एम०पी०—30 आर—0542 का चालक आया और उसने पिता नाथूराम को टक्कर मार दी जिससे उनके दाए पैर में चोट आई। घटना के पश्चात् आहत का इलाज कराने ग्वालियर चला गया। दिनांक 23.08.13 को थाना गोहद में लिखित आवेदन दिया जिसके आधार पर अप०क० 139/13 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आहत के चिकित्सा संबंधी दस्तावेज लिए गए वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य न होने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं 1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.08.13 को शाम करीब 7 बजे मण्डी तिराहा गोहद में ऑटो क0 एम0पी0—30 आर—0542 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?

## <u>—ः: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रूपिसंह अ०सा० 1, डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 2, पातीराम अ०सा० 3, रामकरन अ०सा० 4 , डा० आर०के०एस० धाकड अ०सा० 5 व विशाल अ०सा० 6 व नाथूराम अ०सा० 7 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 7. फरियादी विशाल अ०सा० 6 अपने अभिसाक्ष्य में घटना करीब 5 साल पहले की बरसात के दिनों की होना बताते हैं तथा कथन करते हैं कि वे अपने पिता के साथ गोहदी जा रहे थे। मण्डी तिराहे पर उतरकर चलने लगे इतने में एक ऑटो वाले ने उनके पिता को टक्कर मार दी। यह कथन करते हैं कि वे थोड़ा आगे निकल गए थे, टक्कर की आवाज सुनकर देखा तो पिता के पैर में चोट आ गयी थी। ऑटो वाला भाग गया था एवं भीड़ इकट्ठी हो गयी थी। यह कथन करते हैं कि पातीराम ने उन्हें एक ऑटो का नंबर बताया था, तत्पश्चात् वे अपने पिता को पहले गोहद अस्पताल बाद में ग्वालियर इलाज के लिए ले गए। साक्षी इलाज कराने के बाद थाना गोहद में लिखित आवेदन प्र०पी० 6 दिए जाने का कथन करते हैं जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्राथमिकी प्र०पी० ७ पर भी अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। मुख्य परीक्षण में यह कथन करते हैं कि वे नहीं देख पाए कि ऑटो कैसे चल रहा था क्योंकि वे आगे चले गए थे। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को साक्ष्य दिनांक के पूर्व से न जानने का कथन करते हैं। इस प्रकार से अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता एवं कथित ऑटो क० एम०पी०–30 आर—0542 के घटना के समय उपेक्षा व उतावलेपन से चलने के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं।
- 8. प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं आहत नाथूराम अ०सा० 7 अपने पुत्र विशाल अ०सा० 6 के समान ही घटना 5 साल पहले बरसात के दिनों की बताते हुए कथन करते हैं कि वे अपने लड़के के साथ गोहदी जा रहे थे। मण्डी तिराहे पर लड़का दस—बीस कदम आगे निकल गया इतने में एक ऑटो वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। वे चिल्लाए तो आवाज सुनकर लड़का लौटा और भीड़ इकट्ठी

हो गयी। साक्षी कथन करते हैं कि ऑटो वाला भाग गया था। वे पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए नहीं बता सकते कि कथित ऑटो पर क्या नंबर लिखा था। साक्षी कथित ऑटो के चालक को भी न देख पाने का कथन करते हैं। ऑटो के उपेक्षा व उतावलेपन से चलने के संबंध में स्वयं आहत नाथूराम अ0सा0 7 मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं करते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षी फरियादी विशाल अ0सा0 6 एवं नाथूराम अ0सा0 7 को पक्षविरोधी घोषित कर दिया गया। उक्त साक्षीगण से पूछे गए सूचक प्रश्नों में स्पष्ट रूप से ऑटो क0 एम0पी0—30 आर—0542 के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारने के संबंध में इंकार किया है। दोनों ही साक्षियों ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त के कथित ऑटो चालक होने के तथ्य से भी इंकार किया है। फरियादी के लिखित आवेदन प्र0पी0 6 में एवं रिपोर्ट प्र0पी0 7 में कथित ऑटो क0 एम0पी0—30 आर—0542 के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने का तथ्य भी लेख नहीं हैं। साक्षी कथन प्र0पी0 9 में विनिर्दिष्ट ए से ए भाग पर कथित ऑटो के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से टक्कर मार देने के तथ्य लिखाने से इंकार करते हैं। इसी प्रकार से नाथूराम अ0सा0 7 भी प्र0पी0 10 के पुलिस कथन में कथित ऑटो के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टक्कर मार देने के तथ्य से इंकार करते हैं।

- 9. फरियादी विशाल अ०सा० 6 अपने मुख्य परीक्षण में बताते हैं कि टक्कर की आवाज सुनकर वे लौटे तो उन्होंने पिता के पैर में चोट देखी और भीड इकट्ठी हो गयी थी। साक्षी पातीराम द्वारा ऑटो का नंबर बताए जाने का कथन करते हैं। प्रकरण में पातीराम अ०सा० 3 के रूप में परीक्षित हुए जो उनके सामने किसी भी दुर्घटना के तथ्य से इंकार करते हैं। पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्नों में भी अभियोजन के मामले का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं करते हैं। अन्य साक्षी रूपसिंह अ०सा० 1 के रूप में परीक्षित कराया गया, वह भी घटना का कोई भी समर्थन नहीं करता है। रूपसिंह अ०सा० 1 एवं पातीराम अ०सा० 3 पुलिस कथन कमशः प्रपी० 1 व 3 के विनिर्दिष्ट ए से ए भाग पर कथित ऑटो क० एम०पी०—30 आर—0542 के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से आहत नाथूराम को टक्कर मार देने के तथ्य से इंकार करते हैं। इस प्रकार से अभियोजन की ओर से स्वयं आहत एवं अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों में से किसी ने भी कथित ऑटो क० एम०पी०—30 आर—0542 की अपराध में संलिप्तता एवं अभियुक्त के उपेक्षा अथवा उतावलेपनपूर्ण कृत्य का समर्थन नहीं किया है।
- 10. डा० धीरज गुप्ता अ०सा० २, डा० आर०के०एस० धाकड अ०सा० 5 तथा आरक्षक रामकरन मैकेनिकल जांचकर्ता की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की है। अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप के संबंध में उक्त साक्ष्य का कोई सारवान महत्व नहीं हैं।
- 11. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं

कहलाता है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 20.08.13 को शाम करीब 7 बजे मण्डी तिराहा गोहद में ऑटो क0 एम0पी0—30 आर—0542 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 12. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।
- 13. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- **14.** अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ALIMANA PAROTA SUNT

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहर, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश